

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-11/2019

उनवान -सरकार बनाम पप्पू राजपूत पुत्र ओमप्रकाश जाति राजपूत नि0लुधपुरा पंचायत

रजौराकला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0

एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -14.12.2019

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री पप्पू राजपूत पुत्र श्री ओमप्रकाश राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम लुधपुरा पंचायत रजौराकला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (मिठाई विक्रेता) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2017 को अप्रार्थी की दुकान पप्पू राजपूत मिष्ठान भण्डार मैन चौराहा भरतपुर रोड सैपऊ का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में लगभग 4 किलो ग्राम बेसन के लडडू रखे थे जो आम जनता को विक्रय हेतु बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर उक्त बेसन के लडडू में से 2 किलो बेसन के लडडू वास्ते नमूना जांच अप्रार्थी से खरीदा गया। अप्रार्थी के पास कोई खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं था। उक्त 2 किलो ग्राम बेसन के लडडू नमूना डी-1426 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 के अनुसार उक्त बेसन के लडडू सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढ़कर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड बेसन के लडडू का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड बेसन के लडडू बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री पप्पू राजपूत पुत्र श्री ओमप्रकाश राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम लुधपुरा पंचायत रजौराकला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (मिठाई विक्रेता) पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 3000/-रुपये (तीन हजार रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमौल पत्रावली दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र के.बर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)